कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक– 3223 /मी0क्षे0/33/मीरजापुर, दिनांक,दिसम्बर, 21– 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0,लखनऊ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के म्योरपुर रेंज अन्तर्गत रणटोला (कटौधी) से किरविल तक प्रस्तावित 132 के0वी0 विद्युत ट्रान्समिशन लाईन के निर्माण मे प्रभावित 16.8912 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 819 वृक्षो के पातन की अनुमति दिये जाने के संबध मे । (आन लाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/TRANS/151920/2022)

सन्दर्भः– प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट का पत्र सं0– 1965/रेनुकूट/15–274 दिनांक 15.12.2022

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट ने अपने कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 220 के0वी0 उपकेन्द्र रावर्टसगंज–सोनभद्र की 2440/वि0प्रे0ख0(रा0) दिनांक– 01.12.2022 द्वारा रेनुकूट वन प्रभाग के म्योरपुर रेंज अन्तर्गत रणटोला (कटौधी) से किरविल तक प्रस्तावित 132 के0वी0 विद्युत ट्रान्समिशन लाईन के निर्माण मे प्रभावित 16.8912 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं वन भूमि पर स्थित 819 वृक्षो के पातन की अनुमति हेतु ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/TRANS/151920/2022 अपलोड करते हुए प्रस्ताव की हार्ड मय संस्तुति सहित 04 प्रतियो मे इस कार्यालय को प्रेषित किया है ।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत प्रेषित प्रस्ताव की इस स्तर से ऑन लाइन सबमिशन कर सस्तुति सहित एतद् सहसंलग्न कर आवश्यक अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या–3223/अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट को उनके कार्यालय पत्रांक–1965/रेनुकूट/15–274 दिनांक 15.12.2022 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा) 21/12
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

o/c.

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र – (उ0प्र0)

☎ 05446–252020 PIN Code: 231217 Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक– 1965 / रेनुकूट / 15–274 दिनांक, रेनुकूट,दिसम्बर, 15, ,2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के म्योरपुर रेंज अन्तर्गत रणटोला(कटौधी) से किरविल तक प्रस्तावित 132 के0वी0 विद्युत ट्रान्समिशन लाईन के निर्माण मे प्रभावित 16.8912 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 819 वृक्षो के पातन की अनुमति दिये जाने के संबध मे ।

(आन लाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/TRANS/151920/2022)

महोदय,

निवेदन के साथ अवगत कराना है कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 220 के0वी0 उपकेन्द्र रावर्टसगंज–सोनभद्र ने अपने कार्यालय के पत्रांक–2440 / वि0प्रे0ख0(रा0) दिनांक– 01.12.2022 द्वारा रेनुकूट वन प्रभाग के म्योरपुर रेंज अन्तर्गत रणटोला(कटौधी) से किरविल तक प्रस्तावित 132 के0वी0 विद्युत ट्रान्समिशन लाईन के निर्माण मे प्रभावित 16.8912 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं वन भूमि पर स्थित 819 वृक्षो के पातन की अनुमति हेतु ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/TRANS/151920/2022 अपलोड करते हुए प्रस्ताव की हार्ड कापी प्रभाग मे उपलब्ध कराया गया है । उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव की **चार प्रति** इस पत्र के साथ संलग्न कर संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

संख्या– अ / सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, 220 के0वी0 उपकेन्द्र रावर्टसगंज–सोनभद्र को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रस्ताव के स्वीकृति हेतु उच्च स्तर पर सम्पर्क स्थापित करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करे ।

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

भाग– III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

जनपद–सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के म्योरपुर रेंज अन्तर्गत रणटोला (कटौधी) से किरविल तक प्रस्तावित 132 के0वी0 विद्युत ट्रान्समिशन लाईन के निर्माण मे प्रभावित 16.8912 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 819 वृक्षो के पातन की अनुमति दिये जाने के संबध मे । (आन लाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/TRANS/151920/2022)

14	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणो को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करे	नहीं।
15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हॉ।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारशें।	प्रश्नगत प्रस्ताव की वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानो के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर

दिनांक

नाम

स्थान–मीरजापुर

सरकारी मोहर